

59 (311.)

पंचायती राज विभाग

विशेष सचिव

जिला पदाधिकारी.

सारण ।

29/09/2026

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय आदेश संख्या 216-सह-पठित ज्ञापांक 7243 दिनांक 11.11.2019 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 54(स्वी०) दिनांक 23.09.2026 द्वारा स्व० सुधान्ती कुमारी, ग्राम कचहरी सचिव, प्रखंड-जलालपुर, ग्राम कचहरी-भटकेशरी, जिला-सारण की मृत्यु की स्थिति में ग्राम कचहरी सचिव उनके आश्रित को देय कुल ₹4,00,000.00 (चार लाख रुपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹4,00,000.00 (चार लाख रुपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, सारण होंगे, जो राशि की निकासी जिला कोषागार, सारण से बिहार-कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे। ग्राम कचहरी सचिव के आश्रित के खाते में नियमानुसार जाचोंपरान्त CFMS के माध्यम से अंतरित करेंगे।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, पत्रांक 236 दिनांक 09.03.2026 एवं 926 दिनांक 31.07.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय के अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0010-ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु" मद के "विषय शीर्ष-0010.37.01-अनुग्रह अनुदान" से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपन्न कोड संख्या 16-2515001980010 है।

DNMS EXCEL VS Excel (Independent) Affidavit: 2026-27 (Excel) - Content: ExpiGram documents, etc. & N/A from 1/1/2027-8/31/2027. (Excel) - Content: ExpiGram documents, etc. & N/A from 1/1/2027-8/31/2027.

